# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 11/2017**

**बउनवान**

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

**(प्रार्थी)**

**बनाम**

1. श्री प्रमोद राठोर पुत्र देवकी नन्दन राठोर जाति तेली निवासी अस्पताल रोड बारॉ (मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स डी.एन. ज्यूस सेन्टर, मोटर मार्केट शाहबाद रोड बारॉ
2. श्री देवकी नन्दन राठोर पुत्र दुर्गा शंकर राठोर जाति तेली निवासी अस्पताल रोड बारॉ (लाईसेन्स धारी) मैसर्स डी.एन. ज्यूस सेन्टर, मोटर मार्केट शाहबाद रोड बारॉ
3. श्री कपिल गैरा पुत्र ओम प्रकाश गैरा, मैसर्स के.एम. सेल्स जनता सिनेमा के पास बारॉ
4. श्री शिवदत्त पुत्र श्री लोकमणि (नोमिनी) निवासी 31, फेण्डस कॉलोनी, वार्ड नं. 31 तह0 अलवर जिला अलवर मैसर्स वरूण बेवरेजेज, एफ–202 इन्द्रप्रस्थ एण्ड एरिया गोबरीया बावडी रोड नं0–5 झालावाड रोड कोटा
5. मैसर्स वरूण बेवरेजेज, एफ–202 इन्द्रप्रस्थ एण्ड एरिया गोबरीया बावडी रोड नं0–5 झालावाड रोड कोटा
6. श्री महेश भटनागर पुत्र संतोष कुमार (नोमिनी) निवासी ए–1 प्लॉट नं0 52 ग्यान खण्डी इन्द्रापुरम गाजियाबाद (यू0पी0) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड, प्लॉट नं0 2, सुरजपुर बाईपास ग्रेटर नोयडा (यू.पी.)
7. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड, प्लॉट नं0 2, सुरजपुर बाईपास ग्रेटर नोयडा (यू.पी.)

**(अप्रार्थी)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2–श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 व 2)
3– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक ( अप्रार्थी 3 ता 7 )

**निर्णय दिनांक 19.12.2018**

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.5.2016 को मैसर्स डी.एन. ज्यूस सेन्टर, मोटर मार्केट शाहबाद रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रमोद राठोर पुत्र देवकी नन्दन राठोर जाति तेली **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 13.5.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** 1.2 लीटर की 10 पैक बॉटल मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** विक्रेता से 1.2 लीटर की 4 पैक बॉटल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री प्रमोद राठोर पुत्र देवकी नन्दन राठोर जाति तेली को 360/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** से 1.2 लीटर की 4 बॉटल को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–607 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रमोद राठोर पुत्र देवकी नन्दन राठोर जाति तेली ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/187 दिनांक 17.6.2016 से ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 1362/Act/2016/2111 दिनांक 3.6.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** 1.2 लीटर बॉटल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य पदार्थ का क्रय बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.4.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया एवं बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** 1.2 लीटर बॉटल का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि ट्रोपीकेनो स्लाइस का नमूना ए.एच. 607 की मौका फर्द निरीक्षण दिनांक 13.5.2016 के अनुसार मिथ्याछाप पाए जाने के आधार पर प्रस्तुत किया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रस्तुत कार्यवाही एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्व नही बनता है। फर्द निरीक्षण मौका के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि जिस सील से मौके पर नमूना सील करना बताया गया है उसका कोई इम्प्रेशन फर्द मौका पर नही है। जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.5.2016 मे जांच के तरीके का कोई वर्णन नही है और ना ही खाद्य विश्लेषक द्वारा कोई आधार नमूने के मिथ्याछाप होने बाबत जांच मे दर्ज किया है। जांच रिपोर्ट मे यह भी दर्ज है कि 23.5.2016 से 30.5.2016 तक तथाकथित नमूना जांच किया गया है परन्तु उसके कोई दस्तावेज अभियोगी द्वारा प्रस्तुत नही किए गए है और ना ही सेम्पल प्राप्ति से 14 दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है। यह कि जांच मे जाने वाली लेबोरेट्री भी सरकार से मान्यता प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण ने संबंधित खाद्य पदार्थ क्रय करने के बिल एवं अनुज्ञा पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये है। अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई कार्यवाही पोषणीय नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व संस्थित की गई उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 1362/Act/2016/2111 दिनांक 3.6.2016 के बाद अप्रार्थीगण को Ready to Serve Fruit Beverages **(Tropicano Slive)** 1.2 लीटर बॉटल की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **Ready to Serve Fruit Beverages (Tropicano Slive) 1.2 लीटर बॉटल** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 7 प्रत्येक को 5000/– रूपये 5000/– रूपये कुल जुर्माना राशि 35,000/–रूपये अक्षरे पैत्तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)